01/अपर प्रेस पंजीयक(आर एन आई)/20
भारत सरकार
भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय
(सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय)
सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

दिनांक : 30 मार्च, 2022

वर्ष 2021-22 की वार्षिक विवरणी की ई-फाइलिंग के संबंध में प्रकाशकों को सूचना

प्रेस एवं पुस्तक पंजीयन अधिनियम (पी आर बी अधिनियम), 1867 की धारा 19 – डी के अंतर्गत प्रत्येक समाचारपत्र के प्रकाशक का कर्तव्य है कि वे प्रेस पंजीयक को संबंधित प्रकाशनों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करें। वार्षिक विवरणी की ई – फाइलिंग न करना उपरोक्त धारा का उल्लंघन है।

वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक विवरणी की ई-फाइलिंग के लिए आर एन आई का पोर्टल www.egov.rni.nic.in दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से खोल दिया जाएगा। सभी प्रकाशक दिनांक 31 मई, 2022 तक अपनी वार्षिक विवरणी फाइल कर सकते हैं।

ऐसे प्रकाशक जिन्होंने पूर्व वर्षों (2018-19 से 2019-20) की वार्षिक विवरणी की ई-फाइलिंग नहीं की है, वे पूर्व वर्षों के लिए 1000/- रूपये प्रति वर्ष की दर से वार्षिक विवरणी जमा न करने के लिए जुर्माने के साथ ई-फाइलिंग कर सकते हैं।

तकनीकी जानकारी के लिए प्रकाशक कार्यालय दिवस में दूरभाष सं0 011-24369981 तथा it-helpdesk.rni@nic.in / annualstatement.rni@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

इसे प्रेस पंजीयक के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जोयिस फिलिप)
सहायक प्रेस पंजीयक

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. टीडी (एनआईसी) हेल्पडेस्क के क्रियान्वयन तथा अप लोड करने के लिए।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रधान महानिदेशक, लोक संपर्क एवं संचार ब्यूरो (बी ओ सी), सूचना भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. सभी पत्र सूचना के कार्यालय